कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

(श्री मनोज कुमार मीना **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

नसल संख्या :– 5/2022 निर्णय दिनांक :– 13.02.2025

उनवानः–रामलाल आदि बनाम प्रभुलाल आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण –पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 बाबत प्रदान कराये जाने भरण–पोषण

प्ररूप – च

(नियम 11(2) देखिए)

यह प्रकरण आज दिनांक 04.09.2022 को प्रथम पक्ष संख्या 1 रामलाल पुत्र तेजाराम जाति कुम्हार उम्र 70 वर्ष निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज) व संख्या 2 बदाम पत्नी रामलाल जाति कुम्हार उम्र 65 वर्ष निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज) व द्वितिय पक्ष संख्या 1. प्रभु पुत्र रामलाल जाति कुम्हार उम्र बालिग निवासी सिरोही हाल निवासी कोटा रोड़, पेट्रोल पम्प के पास देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज) व संख्या 2. विष्णु पत्नी प्रभु जाति कुम्हार उम्र बालिग निवासी सिरोही हाल निवासी कोटा रोड, पेट्रोल पम्प के पास देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज) के मध्य हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस प्रकार से पेश हैः– प्रार्थीगण ग्राम सिरोही तहसील देवली जिला टॉक (राज) के मूल निवासी है तथा अत्यन्त वृद्ध, बीमार व्यक्ति है जिनकी आयु क्रमशः लगभग 70 वर्ष एवं 65 वर्ष है तथा वरिष्ठ नागरिक है प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से काम–धंधा करने में पूर्णतया असमर्थ है। प्रार्थी नं. 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम सिरोही में स्थित है तथा साथ ही आवासीय मकान भी है। अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थीगण का सगा पुत्र है तथा अप्रार्थी नं. 2 प्रार्थीगण की पुत्रवधु एवं अप्रार्थी नं. 1 की धर्मपत्नी है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की कृषि भूमि अप्रार्थीगण को दी थी। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण को कृषि भूमि दिये जाने के समय अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को आश्वस्त किया था कि वे प्रार्थीगण के जीवनकाल तक होने वाले सभी प्रकार के खर्चे वहन करते रहेगे। अप्रार्थीगण के द्वारा कुछ समय तक प्रार्थीगण का भरण–पोषण करता रहा है। लेकिन विगत एक वर्ष से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण का भरण–पोषण नहीं कर रहे है तथा कृषि उपज में भी कोई हक व हिस्सा नही दे रहे है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के मकान पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थीगण के साथ आये दिन लड़ाई–झगड़ा करते है तथा मारपीट करने पर उतारू हो जाते है तथा कई बार प्रार्थीगण को धक्का देकर घर से निकाल देते है। प्रार्थीगण के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं होने के कारण आस–पास व अपने रिश्तेदारो के यहां से मांग कर अपना गुजर–बसर कर रहे है। प्रार्थीगण अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति है, जो कोई काम–धंधा अथवा मजदूरी करने में पूर्णतया असमर्थ हो गये है तथा अधिकांश समय बीमार रहते है। जिनके पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है। प्रार्थीगण के पास अपनी चिकित्सा एवं दैनिक उपयोग–उपभोग व भरण–पोषण हेतु कोई आय का स्त्रोत नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को समझाने पर वे प्रार्थीगण के साथ मारपीट करते है तथा कई बार जान से मारने की धमकियां दे चुके है। प्रार्थीगण के साथ गाली–गलौच कर घर से निकाल कर अपमानित व प्रताड़ित करने के अभ्यस्थ रहे है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के निवास वाले मकान को बेचान करने की धमकियां देते हैं। प्रार्थीगण पूर्णरूप से वृद्ध है। जिनके पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है तथा प्रार्थीगण के पास स्वयं के भरण–पोषण का कोई साधन नहीं होने के कारण प्रार्थीगण अप्रार्थीगण पर निर्भर है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण का भरण–पोषण नहीं कर

रहे है। जबकि प्रार्थीगण अपने भरण-पोषण, खाना-पीना, कपडे, चिकित्सा, दवाई आदि के खर्च हेतु 10,000/- रूपये मासिक आवश्यकता होती है। इसलिए प्रतिमाह 10,000/- रूपये प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से दिलवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण का निवास स्थान, माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र/आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वरिष्ठ श्रेणी के प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से मासिक 10,000/- रूपये अपने भरण-पोषण हेतु दिलवाने के आदेश फरमावे ।

यतः विद्वत अधिकरण के आदेशों के अनुसरण में पीठासीन अधिकारी ने पत्र दिनांक 08.07.2024 द्वितिय पक्ष संख्या 1. प्रभु पुत्र रामलाल जाति कुम्हार उम्र बालिग निवासी सिरोही हाल निवासी कोटा रोड़, पेट्रोल पम्प के पास देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज) व संख्या 2. विष्णु पत्नी प्रभु जाति कुम्हार उम्र बालिग निवासी सिरोही हाल निवासी कोटा रोड, पेट्रोल पम्प के पास देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज) को पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश होने हेतु नोटिस दिये गये।

अप्रार्थीगण ने अधिवक्ता श्री रमेश चन्द शर्मा के साथ उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:- प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 आंशिक स्वीकार है। प्रार्थीगण हष्ट पुष्ट है तथा कृषि कार्य करके अपना भरण पोषण कर रहे है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 आंशिक स्वीकार है। अप्रार्थीगण करीब 8-10 वर्षो से देवली मे किराये के मकान में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त 8 बीघा जमीन को स्वंय एवं अपने छोटे पुत्र के साथ फसल काश्त कर भूमि पर हो रही पेदावार को प्राप्त कर रहे है तथा अप्रार्थीगण का किसी प्रकार की भूमि उपयोग उपभोग के लिये नही दे रखी है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। अप्रार्थीगण करीब 8-10 वर्षो से देवली मे निवास कर रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 1 पेशे से ड्राईवर है जो गाड़ी चलाकर अपना एवं अपनी पत्नि का जीवन यापन कर रहा है। अप्रार्थीगण कभी भी अपने गांव नही जाते है। प्रार्थीगण के पास जीवन यापन के लिये ग्राम सिरोही मे स्थित 8 बीघा जमीन तथा 2 जगह पक्के मकान, चार भैंस, एक गाय एवं 3-4 बकरियां है। उक्त स्रोतो से होने वाली आय प्रार्थीगण ही प्राप्त करते आ रहे है तथा प्रार्थीगण का छोटा पुत्र भी पैशे से ड्राईवर है जो प्रार्थीगण के साथ रहकर सभी प्रकार की उपज का उपयोग उपभोग करता है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण के पास जीवन यापन के लिये ग्राम सिरोही में स्थित 8 बीघा जमीन तथा 2 जगह पक्के मकान, चार भैंस, एक गाय एवं 3-4 बकरियां है। उक्त स्रोतो से होने वाली आय प्रार्थीगण ही प्राप्त करते आ रहे है तथा उक्त सभी स्रोतो से तथा जमीन से होने वाली गैहूँ व सरसो की फसल से सालाना करीब 6 लाख रूपये की आय होती है जो प्रार्थीगण ही प्राप्त करते आ रहे है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 गलत है, स्वीकार नही है। अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट व गाली गलोच नहीं की है, ना ही किसी प्रकार से अपमानित किया है। प्रार्थीगण का मकान ग्राम सिरोही में स्थित है जो कि प्रार्थीगण के नाम ही है जिसे अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण या बेचान नही कर सकते है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण के पास काफी आय के स्रोत है जिनसे प्रार्थीगण करीब 6 लाख रूपये सालाना प्राप्त कर रहे है तथा प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से किसी भी प्रकार से भरण पोषण हेतु निर्भर नहीं है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 करीब 5-6 महिने से बीमार होने से घर पर ही रह रहा है जिससे अप्रार्थीगण को स्वंय के भरण पोषण मे काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को काफी

वर्षों से घर से बाहर निकाल रखा है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 व 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

यतः मुझे विद्वत भरण–पोषण अधिकरण ने पीठासीन अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया है और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समझौते पर पहुँचने और समझौता ज्ञापन तैयार करने के लिए आदेश दिनांक 02.01.2025 द्वारा निर्देश दिये है परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा समय चाहने पर पुनः 21.01.2025 को दोनो पक्षों द्वारा किसी भी प्रकार का स्वीकार्य समझोता पेश नहीं किया गया।

और यतः विद्वत अधिकरण के आदेशों के अनुसरण में पीठासीन अधिकारी ने उभयपक्ष को, उसके समक्ष उपसंजात होने के लिए दिनांक 23.01.2025 को प्रातः 10:00 बजे बुलाया है।

दिनांक 23.01.2025 को उभयपक्ष उपस्थित हुऐ। उभयपक्ष से बहस सुनी। अधिवक्ता प्रथम पक्ष ने अपने कथन में मुख्यतया प्रार्थना पत्र के तथ्यो का दोहरान करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ग्राम सिरोही तहसील देवली जिला टॉक (राज) के मूल निवासी है तथा अत्यन्त वृद्ध, बीमार व्यक्ति है जिनकी आयु क्रमशः लगभग 70 वर्ष एवं 65 वर्ष है जो किसी भी प्रकार से काम–धंधा करने में पूर्णतया असमर्थ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की कृषि भूमि अप्रार्थीगण को दी थी। अब अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के मकान पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थीगण के साथ आये दिन लड़ाई–झगड़ा करते है तथा मारपीट करने पर उतारू हो जाते है तथा कई बार प्रार्थीगण को धक्का देकर घर से निकाल देते है। प्रार्थीगण के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं होने के कारण आस–पास व अपने रिश्तेदारो के यहां से मांग कर अपना गुजर–बसर कर रहे है। प्रार्थीगण के पास अपनी चिकित्सा एवं दैनिक उपयोग–उपभोग व भरण–पोषण हेतु कोई आय का स्त्रोत नहीं है तथा भरण–पोषण का कोई साधन नहीं होने के कारण प्रार्थीगण अप्रार्थीगण पर निर्भर है। प्रार्थीगण अपने भरण–पोषण, खाना–पीना, कपडे, चिकित्सा, दवाई आदि के खर्च हेतु 10,000/– रूपये मासिक आवश्यकता होती है। अतः प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से मासिक 10,000/– रूपये अपने भरण–पोषण हेतु दिलवाने के आदेश फरमावे ।

द्वितिय पक्ष ने पीठासन अधिकारी के समक्ष अपने जवाब को कथन के रूप में पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण हष्ट पुष्ट है तथा कृषि कार्य करके अपना भरण पोषण कर रहे है। अप्रार्थीगण करीब 8–10 वर्षों से देवली मे किराये के मकान में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त 8 बीघा जमीन को स्वंय एवं अपने छोटे पुत्र के साथ फसल काश्त कर भूमि पर हो रही पेदावार का उपयोग उपभोग कर अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे हे। अप्रार्थीगण का किसी प्रकार की भूमि उपयोग उपभोग के लिये नही दे रखी है। अप्रार्थी संख्या 1 पेशे से ड्राईवर है जो गाड़ी चलाकर अपना एवं अपनी पत्नि का जीवन यापन कर रहा है। अप्रार्थीगण कभी भी अपने गांव नही जाते है। प्रार्थीगण के पास जीवन यापन के लिये ग्राम सिरोही मे स्थित 8 बीघा जमीन तथा 2 जगह पक्के मकान, चार भैंस, एक गाय एवं 3–4 बकरियां है। उक्त स्रोतो से होने वाली आय प्रार्थीगण ही प्राप्त करते आ रहे है तथा प्रार्थीगण का छोटा पुत्र भी पैशे से ड्राईवर है जो प्रार्थीगण के साथ रहकर सभी प्रकार की उपज का उपयोग उपभोग करता है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से किसी भी प्रकार से भरण पोषण हेतु निर्भर नहीं है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 करीब 5–6 महिने से बीमार होने से घर पर ही रह रहा है जिससे अप्रार्थीगण को स्वंय के भरण पोषण मे काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को काफी वर्षों से घर से बाहर निकाल रखा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी ने जमाबन्दी सम्वत 2073–76 पेश की जिसके अनुसार प्रार्थी के नाम 9 एअर पीवत भूमि है।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष की प्रार्थना को मध्यनजर रखते हुए दिनांक 13.02.2025 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया।

प्रथम पक्ष को देखने से प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष अपनी उम्र के अनुसार एक वृद्ध व्यक्ति है जिसका सम्पूर्ण पालन पोषण, देखरेख व स्वास्थ्य का ध्यान अप्रार्थीगण का उतरदायित्व है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का दामाद व अप्रार्थी संख्या 2 जो प्रार्थी की पुत्री है, उक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि उक्त अप्रार्थीगण, प्रार्थी के प्रति कोई जिम्मेदारी का वहन नहीं कर रहे है। यद्यपि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 सम्पन्न व्यक्ति नहीं है परन्तु वृद्ध माता की देखरेख करना, सेवा सुश्रषा करना पुत्र एवं पुत्री का प्रमुख नैतिक कर्तव्य है जिसको अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा किसी भी प्रकार से वहन नहीं किया जा रहा है।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष की प्रार्थना को मध्यनजर रखते हुए निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया।

1. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार को जीवन की ऐसी आवश्यकताऔ जेसे भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाये जिससे प्रथम पक्षकार अपना सामान्य जीवन यापन कर सकेगा।
2. यह कि द्वितीय पक्षकारान की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। अतः द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार को जेब खर्च के साथ ही दिन प्रतिदिन के खुदरा खर्च के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 मिलकर, कुल 1500 रूपये की राशि देंगे। यह संदाय के नगद राशि माध्यम से प्रत्येक मास की 5 तारीख तक संदत्त की जायेगी।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार आदेश/निर्णय निबन्धनों और शर्तों के पालन में विफल रहता है, तो द्वितीय पक्षकार, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 और साथ ही तद्धीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों के अधीन, स्वयं के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का दायी होगे।
4. उक्तानुसार पारित निर्णय की अवमानना पर प्रार्थी प्रथम पक्ष मांगीलाल माली पुत्र श्री नाथुलाल माली जाति माली उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज० द्वितिय पक्ष संख्या 1 ता 3 द्वितिय पक्ष संख्या 1. प्रेमलाल माली पुत्र श्री घीसालाल माली जाति माली उम्र बालिग निवासी ग्राम राजमहल तहसील देवली जिला टॉक राज० व संख्या 2. बदाम पत्नी श्री प्रेमलाल माली जाति माली उम्र बालिग निवासी ग्राम राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज० संख्या 3.रामअवतार पुत्र श्री प्रेमलाल माली जाति माली उम्र बालिग निवासी ग्राम राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज०द्वितिय पक्ष को स्वयं की सम्पति से बेदखल किये जाने का अधिकार रहेगा।

मनोज कुमार मीना
सुलह अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी देवली)